भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 494

दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

मध्यम आकार के उद्यमों के लिए अनुशंसा

494. श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मध्यम आकार के उद्यमों के विकास के लिए कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में मध्यम आकार के उद्यमों के लिए अनुशंसित प्रमुख हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्यम आकार के उद्यमों में तकनीकी एकीकरण और उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए क्या पहल प्रस्तावित है; और

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में मध्यम आकार के उद्यमों में तकनीकी एकीकरण और उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) भारत सरकार, भारत में मध्यम आकार के उद्यमों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मध्यम उद्यमों को कवर करने वाली प्रमुख स्कीमें निम्नलिखित हैः

(I) एमएसएमई चैम्पियन्स स्कीमः इस योजना के तीन घटक हैं। शून्य प्रभाव शून्य दोष (जेडईडी) स्कीम के अंतर्गत, एमएसएमई को नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरणों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम

बनाने हेतु उद्यमों को शून्य प्रभाव शून्य दोष का प्रमाण दिया जाता है। एमएसएमई प्रतिस्पर्धा (लीन) स्कीम, एमएसएमई की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु विभिन्न लीन तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए है। एमएसएमई- नवाचार (इन्क्यूबेशन, डिज़ाइन और आईपीआर) स्कीम, एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एकल-मोड दृष्टिकोण में आईपीआर की सुरक्षा करके इन्क्यूबेशन और डिज़ाइन अंतःक्षेप में नवाचार के लिए है।

(II) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधिः इस स्कीम के अंतर्गत उन एमएसएमई को इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है जिनमें विकसित होने और बड़ी इकाई बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है।

(III) मध्यम उद्यमों पर लागू अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (एटीआई) स्कीम, प्रौद्योगिकी केंद्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देना, एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (आरएएमपी) शामिल हैं।

(ख) मध्यम उद्यमों पर नीति आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित प्रमुख अंतःक्षेपों में शामिल हैं-

(i) एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत समर्पित वित्तपोषण योजना जैसी अनुरूप वित्तीय पहल, जिससे मध्यम उद्यमों को रियायती दरों पर ऋण के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलती है, और मध्यम उद्यमों के लिए पूर्व-अनुमोदित सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड की शुरुआत होती है। (ii) एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) का लाभ उठाना और उन्हें "भारत एसएमई 4.0 सक्षमता केंद्रों" में पुनर्जीवित करना, नए टीसी बनाना, (iii) मध्यम उद्यमों के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, (iv) मध्यम उद्यमों को शामिल करने के लिए एमएसई-सीडीपी योजना का विस्तार करना, (v) अनुकूलित कौशल विकास पहल और (vi) मध्यम उद्यमों के लिए केंद्रीकृत पोर्टल।

(ग) और (घ) प्रोद्योगिकीय अंतःक्षेप और उद्योग 4.0 को अपनाने के संबंध में सरकार द्वारा की गई पहलों में उद्योगों द्वारा उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए 4 स्मार्ट उन्नत विनिर्माण और तीव्र परिवर्तन हब (समर्थ) केंद्रों की स्थापना हेतु "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने" की योजना शामिल है। ये केंद्र हैं: सेटंर फॉर इंडस्ट्री 4.0 लैब पुणे; आईआईटीडी-एआईए फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईआईटी दिल्ली; आई-4.0 इंडिया@आईआईएससी, बेंगलुरू; स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल, सीएमटीआई, बेगलुरु। इसके अलावा, सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 लैब पुणे द्वारा पूरे भारत में स्थापित किए जाने वाले हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 10 क्लस्टर उद्योग 4.0 अनुभव केंद्रों को मंजूरी दी गई है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य में कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

*****